राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड, जयपुर

क्रमांक एफ15 () एफपीओं/पार्ट–II /पीएचएम/वि.बो/ 12438–12812 दिनांकः–27-11-1

मुख्य कार्यकारी अधिकारी
कृषक उत्पादक संगठन/कम्पनी

विषयः–कृषि उपज मंडी समितियों से सीधे खरीद के लाईसेन्स के संबंध में।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि राजस्थान कृषि उपज विपणि अधिनियम 1961 के अन्तर्गत कृषक उत्पादक समूहों को सीधी खरीद हेतु अनुज्ञापत्र जारी करने हेतु पूर्व की शर्तो में शासन उप सचिव कृषि ग्रुप–2 के परिपत्र क्रमांक प.4(77)कृषि/ग्रुप–2/2003–II द्वारा उप विधियो में शिथिलता प्रदान करने हुए संशोधन किये गये है। (प्रति संलग्न) अतः कृषक उत्पादक समूह संबंधित मंडी समिति जिसके श्रेत्र में कार्यरत है सीधी खरीद के अनुज्ञापत्र हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत कर अनुज्ञापत्र प्राप्त कर सकती है।

(तारा चन्द मीना)
प्रशासक

क्रमांक एफ15 () एफपीओं/पार्ट–II /पीएचएम/वि.बो/12438–12812 दिनांकः–27-11-1

1. प्रतिलिपि श्रीमान् प्रबंध निदेशक एसएफएसी नई दिल्ली/मुख्य महाप्रबंधक नाबार्ड श्रैत्रीय कार्यालय, जयपुर/ प्रोजेक्ट डायरेक्टर आरएसीपी जयपुर/संयुक्त निदेशक आरकेवीआई को सूचनार्थ।
2. सचिव, समस्त मंडी समिति को पृष्ठांकित कर लेख है कि एफपीओ से सीधी खरीद हेतु अनुज्ञापत्र का आवेदन पत्र प्राप्त होने पर नियमानुसार कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करें।

(लक्ष्मण प्रसाद शर्मा)
सचिव

450/DAM/DS/19-
19.07.2019

राजस्थान सरकार
कृषि (ग्रुप–2) विभाग

क्रमांकः–प.4(77)कृषि/ग्रुप–2/2003–II जयपुर, दिनांक 17 JUL 2019

निदेशक,
कृषि विपणन विभाग,
राजस्थान जयपुर।

विषयः–उपविधियों में संशोधन बाबत।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि इस विभाग के पत्र क्रमांकः–प.4(77) कृषि/ग्रुप–2/2003–II दिनांक 01.10.2018 से जारी उप विधि संशोधन को प्रत्याहरित करते हुए राजस्थान कृषि उपज मण्डी अधिनियम,1961 के अन्तर्गत कृषि उपज मण्डी उपविधियों में निम्नानुसार संशोधन किया जाता हैः–

1. उपविधि 15ग (5) " किसी भी मण्डी कार्यकर्ता को एक समय पर एक से अधिक स्थाई अनुज्ञापत्र स्वीकृत नहीं किया जायेगा।" को विलोपित किया जाता है।

उपविधि 31–ए–2 में अंकित वर्तमान प्रावधान को निम्न प्रावधान से प्रतिस्थापित किया जाना प्रस्तावित हैः–

"अनुज्ञापत्र आधेसूचित विशिष्ट कृषि उपज (Specific Agriculture Produce) का क्रय करने हेतु जारी किया जावेगा परन्तु एक ही अनुज्ञापत्रधारी को एक से अधिक कृषि उपज क्रय करने की अनुमति दी जा सकेगी। सीधी खरीद आवेदित उद्देश्य के लिए अनुज्ञेय होगी । कृषि उपज का उपयोग अन्य उद्देश्य हेतु नहीं किया जा सकेगा परन्तु यह और भी है कि मण्डी क्षेत्र में मण्डी प्रांगण एवं मार्केट प्रोपर के बाहर अधिसूचित कृषि उपज का क्रय करने की अनुमति उसी व्यक्ति, फर्म अथवा संस्था को दी जा सकेगी, जो कि वित्तीय वर्ष में निम्न वर्णित मात्रा से अधिक माह में अधिसूचित कृषि उपज क्रय करने के लिए वचनबद्ध हो और उसकी नेटवर्थ कम से कम निम्नानुसार हो :–

क्र. सं.	अधिसूचित कृषि उपज	न्यूनतम मात्रा (मै. टन)	नेटवर्थ
1.	देशी एवं नरमा कपास	500	0.50 करोड रुपये (पचास लाख रूपये)
2.	समस्त फल एवं सब्जी	500	0.50 करोड रुपये (पचास लाख रूपये)
3.	समस्त मसाले	500	0.50 करोड रुपये (पचास लाख रूपये)
4.	समस्त अन्य खाद्यान्न	1000	0.50 करोड रुपये (पचास लाख रूपये)
5.	समस्त दलहन	500	0.50 करोड रुपये (पचास लाख रूपये)
6.	समस्त तिलहन	1000	0.50 करोड रुपये (पचास लाख रूपये)

Scanned by CamScanner

परन्तु कृषक उत्पादन संगठन/कम्पनी (जिनके कम से कम 500 शेयर धारक हो) को नेटवर्थ की कोई आवश्यकता नहीं होगी। कृषक उत्पादन संगठन/कम्पनी (जिनके कम से कम 500 शेयर धारक हो) को कुल 100 टन प्रति वर्ष (सभी जिन्स सम्मिलित) की खरीद गारन्टी देनी होगी।
अनुज्ञापत्रधारी फर्म द्वारा घोषित एवं वचनबद्ध मात्रा में अधिसूचित कृषि उपज का क्रय करने में असफल रहता है तो उसके विरुद्ध नियमानुसार एवं राजस्थान कृषि उपज विपणी अधिनियम, नियम, उपविधियों एवं अनुज्ञापत्र की शर्तों के तहत कार्यवाही की जावेगी।

3. उपविधि सं. 31–ए(4) के अन्तर्गत प्रथम परन्तुक के पश्चात निम्नानुसार परन्तुक जोडा जाता है:–
"परन्तु यह भी कि कृषक उत्पादन संगठन /कम्पनी (जिनके कम से कम 500 शेयर धारक हों) को मात्र रुपये 1 लाख की बैंक गारण्टी/सुरक्षा जमा राशि की आवश्यकता होगी।"

4. उपविधि सं. 31–ए(5) के परन्तुक में से " ऐसी दशा में कृषि जिन्सों की आवक एवं जावक के लिए पृथक से गेट होंगे तथा " को विलोपित किया जाता है ।

5. उपविधि संख्या 31–ए(6) (ii) में से "धोषित समर्थन मूल्य से कम पर किसी भी अधिसूचित कृषि उपज का कय नहीं किया जावेगा।" को विलोपित किया जाता है।

भवदीय,

(लाल चन्द गुर्जर) 7/7
शासन उप सचिव

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–
1. प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री, राज. सरकार।
2. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, कृषि ।

शासन उप सचिव

Scanned by CamScanner